न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 122/2017

दर्ज दिनांक :12/10/2017

निर्णय दिनांक : 21/12/2017

संशोधित वाद पत्र

पेफुराम पुत्र श्री रंगलाल जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम बडहाली, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

–– प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः

श्री भोजराज सिंह राजवत एडवोकेट

श्री बद्रीनारायण शर्मा एडवोकेटे

विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः 21/12/2017

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 68 के खसरा नंबर 2565, 2566, 2567, 2578, 2583 कुल किता 05 कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खाता संख्या 56 के खसरा नंबर 2536 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 54 के खसरा नंबर 2555/2 रकबा 01 बिस्वा, खाता संख्या 55 के खसरा नंबर 2575, 2589, 2590, 2593, 2596, 2597, 2598, 2600 कुल किता 08 कुल रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बडहाली पटवार हल्का पीपला भू.अभि.नि.

क्षेत्र चित्तौडा, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका वादी दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। आराजी वादी की पुश्तैनी विरासतन प्राप्त आराजी है जिसका विरासतन नामान्तकरण तस्दीक करते समय राजस्व कारकानूनगो ने वादी का राजस्व रिकॉर्ड पेमा व प्रेमा कर दिया जबकि वादी का सही नाम पेफूराम पुत्र रंगलाल है इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजी खाता संख्या 68 में वादी का नाम पेमा, खाता संख्या 54, 55 व 56 में वादी का नाम प्रेमा दर्ज हो रखा है जबकि वादी का सही नाम पेफुराम है तथा वादी के समस्त दस्तावेजात यथा वोटर आईडी, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र में वादी का नाम पेफुराम दर्ज है व वादी के खातेदारी की ग्राम बडहाली में ही अन्य भूमि खाता संख्या 57 के खसरा नंबर 2545 में वादी का सही नाम पेफुराम दर्ज है। वादी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का गलत इन्द्राज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार से किसी वित्तीय संस्था से ऋण आदि प्राप्त कर उसमें विकास कार्य कराने से महरूम है। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि के खाता संख्या 54, 55, 56, 68 में हुये गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु वादी तहसीलदार फागी के यहां गया एवं अपने गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो तहसीलदार फागी ने न्यायालय से दुरूस्ती के आदेश लाने बाबत कहा इस कारण वादी को यह वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया। आबादी भूमि धारक होने एवं मुकदमे हाजा में आवश्यक पक्षकार होने के कारण तथा राजकीय अधिकारी होने एवं नियमानुसार इनके विरूद्व कोई भी सिविल, रेवेन्यू कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी के प्रावधान अनुसार इनके विरूद्व कोई भी प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पूर्व दो माह की अवधि का लीगल नोटिस दिये जाने की अनिवार्यता है परन्तु वादी के प्रार्थना पत्र की प्रकृति अरजेन्ट नेचर की होने के कारण उक्त दो माह की मियाद का नोटिस दिया जाना वादी के हितो के खिलाफ है, उक्त अवधि के नोटिस दिये जाने की अनिवार्यता को वैव किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत प्राप्त होने की आशा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी अपने नाम दर्ज आराजी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पर के.सी.सी लेने हेतु हल्का पटवारी से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की जिसमे वादी के अलग अलग नाम दर्ज है जिस पर वादी सरपंच ग्राम पंचायत पीपला से प्रमाण पत्र सही नाम पेफुराम पुत्र रंगलाल का पेश किया परन्तु हल्का पटवारी ने वादी के इन्द्राज में वर्णित नामो को दुरूस्त करने मना कर दिया जिस पर वादी तहसीलदार फागी के समक्ष दिनांक 01/10/2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिनके द्वारा भी श्रीमान न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरूस्त करवाकर आदेश लाने को कहा इसलिये वादी को यह वाद पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी का ही अपभ्रंश नाम प्रेमा, पेमा फेफुराम है जो कि एक ही व्यक्ति है जो वादी के ही नाम है वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति ग्राम बडहाली में नहीं है। वादी को अपने नाम दर्ज आराजी को विकसित करने में उक्त त्रुटि के कारण वंचित हो रहा है इसलिये वादी का सही नाम पेफुराम पुत्र रंगलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी का खाता संख्या 54, 55, 56 व 68 में दर्ज नाम प्रेमा, पेमा को दुरूस्त कर सही नाम पेफुराम पुत्र रंगलाल जाति गुर्जर सा. दह खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी. पी.सी. पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वकील वादी को संशोधित वाद प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। वकील वादी ने संशोधित वाद प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार राज0 ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब को ही संशोधित वाद पत्र का जवाब माने जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने साक्ष्य में गवाह गोपीराम पुत्र रंगलाल, मेवाराम पुत्र रंगलाल एवं पेफुराम पुत्र रंगलाल के शपथ पत्र पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी का नाम विरासत द्वारा पेमा पुत्र रंगलाल व प्रेमा पुत्र रंगलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड व फोटो पहचान पत्र में पेफुराम पुत्र रंगलाल है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमा व पेमा की जगह पेफुराम पुत्र रंगलाल कराना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पीपला दिनांकित 01.10.2017, रिपोर्ट तहसीलदार फागी, शपथ पत्र वादी, गोपीराम पुत्र रंगलाल, मेवाराम पुत्र रंगलाल इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रेमा व पेमा दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज प्रेमा व पेमा के स्थान पर पेफुराम दर्ज करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड में वादी का नाम पेफुराम अंकित है। ग्राम पंचायत पीपला ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 01.10.2017 में एवं गवाहान गोपीराम पुत्र रंगलाल, मेवाराम पुत्र रंगलाल ने अपने शपथ पत्रो में पेमा, प्रेमा व पेफुराम सभी नाम वादी के होने एवं वादी का सही व वास्तविक नाम पेफुराम होने का कथन किया है। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में वादी वाद स्वीकार किये जाने में अनापत्ति प्रकट की है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज पेमा, प्रेमा को हजफ कर इसके स्थान पर पेफुराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम बडहाली के खाता संख्या 54, 55 व 56 में दर्ज इन्द्राज प्रेमा एवं खाता संख्या 68 में दर्ज इन्द्राज पेमा को हजफ कर इसके स्थान पर पेफुराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

पेफुराम पुत्र रंगलाल

बनाम

तहसीलदार फागी

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती ::–

मुकदमा नं0 – 122/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जांकर ग्राम बडहाली के खाता संख्या 54, 55 व 56 में दर्ज इन्द्राज प्रेमा एवं खाता संख्या 68 में दर्ज इन्द्राज पेमा को हजफ कर इसके स्थान पर पेफुराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज...—...मुबलिग...—...बाबत...—...
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...—...फीसदी...—...सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...—...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/12/2017 को जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, फागी)

दस्तखत................

मुहर

ओहदा..................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	NIL		फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर))